न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ.20 नियम 77 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा पूजा पार्थ (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 31/2017

उनवान मुकदमा

1.श्री वालिया पिता वेस्ता जाति भील निवासी खेडी पिपली पटवार हल्का केसरपुरा हसील आंबपुरा जिला बांसवाडा (राज)

2.श्री हरिसन पिता वेस्ता जाति भील निवासी खेडी पिपपली पटवार हल्का केसरपुरा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा(राज)

3.परू पिता मालिया फौत के वारिसान :–

3/1राहुल पिता परू जाति भील उम्र 8 वर्ष नाबालिंग की वलिया माता वाली पत्नी मलीया जाति भील निवासी खोडी पिपली ।

3/2रोहित पिता परू जाति भील उम्र 5 वर्ष नाबालिंग की वलिया माता श्रीमती वाली पत्नी मलीया जाति भील निवासी खेडी पिपली ।

4.श्रीमती वाली पत्नी मलिया जाति भल निवासी खेडी पिपली तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज)

5.गोतम पिता मालिया जाति भील उम्र 20 वर्ष निवासी खोडी पिपली पटवार हल्का केसरपुरा तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

– अप्रार्थीगण

1.बक्सु पिता नाथु जाति भील निवासी खाडीया देव तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा(राज.)

2.भाणजी पिता रंगजी जाति भील निवासी बखतपुरा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

3.हकरू पिता मंगला जाति भल निवासी भवपुरा(पागडी) तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 183,209 राज. टिनेन्सी एक्ट काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 20 / 05 /2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है । वादीगण के संयुक्त स्वामीत्व एवं कब्जे काश्त की आराजी सर्वे नम्बर 182/152 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम खेडी पिपली तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा में स्थित है । उक्त सार्वे नम्बर पर वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते हुए आ रहे

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

तथा संयुक्त रूप से राज्य सरकार में वागीदगण लगान अदा करते चले आ रहे है ।प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नही है और नही प्रतिवादीगण ने कभी उक्त भूमि पर काश्त की है ।उक्त खाते में प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। उक्त खाते में उनका कोई हक व अधिकारी नही है प्रतिवादीगण जोर जबरजस्ती से उक्त खाते पर अतिक्रमण कर मकान निमार्ण कर रहे है ।इसलिये प्रतिवादीगण का कब्जा गैरकानुनी होकर अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। सर्वे नम्बर 182/152रकबा 02 बीघ 01बिस्वा वाके ग्राम खेडी पिपली प्र.स. केसरपुरा तहसील आंपुरा जिला बांसवाडा का प्रतिवादीगण को अतिक्रमण घोषित किया जाकर वादी के पक्ष में फैसला दिया जाता है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को अतिक्रमिक घोषित किये जाते है । तथा वादग्रस्त खेत का कब्जा प्रतिवादी से वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है । अप्रार्थीगण अपने दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नही कर पाया है जिसके विपरित वादी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सिद्व किया है ।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हारजी वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । इसके मुताबिक डिक्री जारी की ती है । निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 20 / 05 /2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पूजा पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
बासवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned by CamScanner